मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

//सूचना//

भोपाल दिनांक 13-1-21

क्रमांक एफ 3–53/2019/18–5 :– एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत खजुराहो विशेष क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना 2031 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptownplan.nic.in पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से तीस दिवस की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा।

1. अवर सचिव, म0प्र0 नगरीय विकास एवं आवास विभाग, द्वितीय तल, एनेक्सी भवन–2, मंत्रालय भोपाल, मध्य प्रदेश
2. आयुक्त, सागर संभाग, सागर, म.प्र.
3. कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, खजुराहो
5. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, राजनगर
6. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय– छतरपुर, मध्य प्रदेश

अनुसूची

क्र.	विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान	प्रस्तावित उपांतरण
1	2	3
1.	**अध्याय 5** **कंडिका 5.10.2 पेराग्राफ 3 की तृतीय पंक्ति** टिकुरी ग्राम में प्राकृतिक प्रसार का प्रावधान किया गया है।	**अध्याय 5** **कंडिका 5.10.2 पेराग्राफ 3 की तृतीय पंक्ति** "टिकुरी ग्राम में प्राकृतिक प्रसार का प्रावधान किया गया है" को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।
2.	**अध्याय 6** **कंडिका 6.22 स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग गतिविधियां** **सारणी क्र. 6–सा–10 के सरल क्रमांक 5 आमोद–प्रमोद के कॉलम 3 में**	**अध्याय 6** **कंडिका 6.22 स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग गतिविधियां** **सारणी क्र. 6–सा–10 के सरल क्रमांक 5 आमोद–प्रमोद के कॉलम 3 में**

		पिकनिक हट्स के पश्चात् हॉलिडे रिसॉर्ट को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।
3.	**अध्याय 6** **कंडिका 6.22 स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग गतिविधियां** **सारणी क्र. 6–सा–10 के सरल क्रमांक 5 आमोद–प्रमोद के कॉलम 4 में**	**अध्याय 6** **कंडिका 6.22 स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग गतिविधियां** **सारणी क्र. 6–सा–10 के सरल क्रमांक 5 अमोद–प्रमोद के कॉलम 4 में** • भोजनालय के पश्चात् मोटल, अतिथि गृह को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है । • अन्य शो के पश्चात् सार्वजनिक सभागृह, रेस्तरां एवं कारवां पार्क को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।
4.	**अध्याय 6** **कंडिका 6.22 स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग गतिविधियां** **सारणी क्र. 6–सा–10 के सरल क्रमांक 7 कृषि के कॉलम 3 में**	**अध्याय 6** **कंडिका 6.22 स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग गतिविधियां** **सारणी क्र. 6–सा–10 के सरल क्रमांक 7 कृषि के कॉलम 3 में** ग्रामीण वर्तमान आबादी क्षेत्र से लगकर 300 मी. परिधि के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र अनुसार विकास को विलोपित कर खुले डिपो के पश्चात् ग्रामीण वर्तमान आबादी क्षेत्र से लगकर 200 मी. परिधि के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र अनुसार विकास अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
5.	**अध्याय 6** **कंडिका 6.22 स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग गतिविधियां** **सारणी क्र. 6–सा–10 के सरल क्रमांक 7 कृषि के कॉलम 4 में**	**अध्याय 6** **कंडिका 6.22 स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग गतिविधियां** **सारणी क्र. 6–सा–10 के सरल क्रमांक 7 कृषि के कॉलम 4 में** स्थानीय संस्था द्वारा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा के पश्चात् गोल्फकोर्स अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त खजुराहों विकास योजना (प्रारूप) 2031 मानचित्र में ग्राम टिकुरी में प्रस्तावित आवासीय को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त उपांतरण विवरण के संबंध में आपत्ति या सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते है। समयावधि में प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ० शुभाशीष बैनर्जी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2021

क्रमांक एफ 3–53/2019/18–5 :– एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत खजुराहो विशेष क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना 2031 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptownplan.nic.in पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से तीस दिवस की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा।

1. अवर सचिव, म0प्र0 नगरीय विकास एवं आवास विभाग, द्वितीय तल, एनेक्सी भवन–2, मंत्रालय भोपाल, मध्य प्रदेश
2. आयुक्त, सागर संभाग, सागर, म.प्र.
3. कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, खजुराहो
5. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, राजनगर
6. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय– छतरपुर, मध्य प्रदेश

अनुसूची

क्र.	विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान	प्रस्तावित उपांतरण
1	2	3
1.	अध्याय 5 कंडिका 5.10.2 पेराग्राफ 3 की तृतीय पंक्ति टिकुरी ग्राम में प्राकृतिक प्रसार का प्रावधान किया गया है।	अध्याय 5 कंडिका 5.10.2 पेराग्राफ 3 की तृतीय पंक्ति "टिकुरी ग्राम में प्राकृतिक प्रसार का प्रावधान किया गया है" को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।
2.	अध्याय 6 कंडिका 6.22 स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग गतिविधियां सारणी क्र. 6–सा–10 के सरल क्रमांक 5 आमोद–प्रमोद के कॉलम 3 में	अध्याय 6 कंडिका 6.22 स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग गतिविधियां सारणी क्र. 6–सा–10 के सरल क्रमांक 5 आमोद–प्रमोद के कॉलम 3 में

		पिकनिक हट्स के पश्चात् हॉलिडे रिसॉर्ट को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।
3.	**अध्याय 6** **कंडिका 6.22 स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग गतिविधियां** **सारणी क्र. 6–सा–10 के सरल क्रमांक 5 आमोद–प्रमोद के कॉलम 4 में**	**अध्याय 6** **कंडिका 6.22 स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग गतिविधियां** **सारणी क्र. 6–सा–10 के सरल क्रमांक 5 अमोद–प्रमोद के कॉलम 4 में** • भोजनालय के पश्चात् मोटल, अतिथि गृह को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है । • अन्य शो के पश्चात् सार्वजनिक सभागृह, रेस्तरां एवं कारवां पार्क को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।
4.	**अध्याय 6** **कंडिका 6.22 स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग गतिविधियां** **सारणी क्र. 6–सा–10 के सरल क्रमांक 7 कृषि के कॉलम 3 में**	**अध्याय 6** **कंडिका 6.22 स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग गतिविधियां** **सारणी क्र. 6–सा–10 के सरल क्रमांक 7 कृषि के कॉलम 3 में** ग्रामीण वर्तमान आबादी क्षेत्र से लगकर 300 मी. परिधि के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र अनुसार विकास को विलोपित कर खुले डिपो के पश्चात् ग्रामीण वर्तमान आबादी क्षेत्र से लगकर 200 मी. परिधि के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र अनुसार विकास अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
5.	**अध्याय 6** **कंडिका 6.22 स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग गतिविधियां** **सारणी क्र. 6–सा–10 के सरल क्रमांक 7 कृषि के कॉलम 4 में**	**अध्याय 6** **कंडिका 6.22 स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग गतिविधियां** **सारणी क्र. 6–सा–10 के सरल क्रमांक 7 कृषि के कॉलम 4 में** स्थानीय संस्था द्वारा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा के पश्चात् गोल्फकोर्स अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त खजुराहों विकास योजना (प्रारूप) 2031 मानचित्र में ग्राम टिकुरी में प्रस्तावित आवासीय को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त उपांतरण विवरण के संबंध में आपत्ति या सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते है। समयावधि में प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा।